भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1649

दिनांक 16 मार्च, 2022 (25 फाल्गुन,1943 (शक)) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाना

1649 # **श्री नीरज डांगी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल को मजबूत बनाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान किए जाने की दर काफी खराब रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं के प्रति अपराध की जांच एवं अभियोजन समेत नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन "क्राइम-इन-इंडिया" में संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2020 तक की उपलब्ध हैं। वर्ष 2020 में महिलाओं के प्रति अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों और दोषसिद्ध मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

तथापि, सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने और उनसे निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने तथा आरोप पत्र दायर करने और विचारण (ट्रायल) को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. "आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित एक प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को नागरिकों हेतु साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है।

iv. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

v. गृह मंत्रालय ने पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को स्थापित और स्तरोन्नत करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरियेंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 14,950 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता रहा है, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1649 दिनांक 16.03.2021

अनुलग्नक

वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस) और दोषसिद्ध मामले सीओएन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020		
		सीआर	सीसीएस	सीओएन
1	आंध्र प्रदेश	17089	13106	279
2	अरुणाचल प्रदेश	281	227	1
3	असम	26352	16314	140
4	बिहार	15359	9787	174
5	छत्तीसगढ़	7385	6288	870
6	गोवा	219	176	11
7	गुजरात	8028	7522	59
8	हरियाणा	13000	7662	168
9	हिमाचल प्रदेश	1614	1261	49
10	झारखंड	7630	5704	992
11	कर्नाटक	12680	10354	163
12	केरल	10139	9497	1367
13	मध्य प्रदेश	25640	22141	2017
14	महाराष्ट्र	31954	27104	668
15	मणिपुर	247	110	2
16	मेघालय	568	377	63
17	मिजोरम	172	167	72
18	नागालैंड	39	25	13
19	ओडिशा	25489	22729	144
20	पंजाब	4838	3518	194
21	राजस्थान	34535	18311	3780
22	सिक्किम	140	106	11
23	तमिलनाडु	6630	4838	392
24	तेलंगाना	17791	17124	801
25	त्रिपुरा	874	794	34
26	उत्तर प्रदेश	49385	41109	8386
27	उत्तराखंड	2846	2037	99
28	पश्चिम बंगाल	36439	31354	73
	कुल (राज्य)	**357363**	**279742**	**21022**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	143	149	15
30	चंडीगढ़	301	197	11
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव+	61	57	2
32	दिल्ली	10093	9028	403
33	जम्मू और कश्मीर*	3405	2003	19
34	लद्दाख	9	9	14
35	लक्षद्वीप	15	8	2
36	पुदुचेरी	113	110	63
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**14140**	**11561**	**529**
	कुल (अखिल भारत)	**371503**	**291303**	**21551**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

******